



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plexh/Cir/361

दिनांक: 31.07.2026

Plexconcil/COA के सभी सदस्यों को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अनुसूची-II (निर्यात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 का वित्त अधिनियम, 2026 के साथ सामंजस्य

संदर्भ संख्या: DGFT अधिसूचना संख्या 26/2026-27 दिनांक 27 जुलाई 2026

हम आपको बताना चाहते हैं कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT), मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने **शेड्यूल-II (एक्सपोर्ट पॉलिसी), ITC (HS), 2022 को फाइनेंस एक्ट, 2026** के ज़रिए लाए गए बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के बारे में ऊपर दिया गया नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन फॉरेन ट्रेड (डवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1992 और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2023 के नियमों के तहत जारी किया गया है।

मुख्य बातें

1. वित्त अधिनियम, 2026 के अनुसार अनुभाग नोट्स में संशोधन/संशोधन उप-शीर्षक, अध्यायवार मुख्य नोट्स, इसके साथ नोट्स और पूरक नोट्स संलग्न हैं **(अनुलग्नक-I)**।
2. फाइनेंस एक्ट, 2026 के तहत लाए गए/हटाए गए/बदले गए/अलग किए गए/मर्ज किए गए ITC (HS) कोड की लिस्ट साथ में दी गई है **(Annexure-II)**।
3. अपडेटेड शेड्यूल-II (एक्सपोर्ट पॉलिसी), ITC (HS) DGFT वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4. यह नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

मेंबर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर लागू रिवाइज्ड ITC (HS) क्लासिफिकेशन और पॉलिसी प्रोविज़न को रिव्यू करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202607310236_34.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सम्मान,

भारती परावे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
PLEXCONCIL